न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 94/2025

प्रार्थी
1 जे.एस. डब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (JSW ENERGY BARMER LIMITED) भादरेश जरिये प्रतिनिधि श्री हिंगलाज सिंह चारण, हाल प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 प्रार्थी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 19.03.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनकी कम्पनी राज वेस्टपावर प्राईवेट लिमिटेड को कपूरडी जालीपा लिग्नाईट (1000 मेगावाट) पावर प्रोजेक्ट हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम भादरेश गांधव एवं ईश्वरपुरा, तहसील व जिला बाडमेर की, वर्ष 2006–07 में 484.5537 हैक्टयर भूमि आवाप्त कर राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई थी जिसका राजस्व रेकर्ड में वर्तमान इन्द्राज राज वेस्ट पावर लि. के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के अनुबन्ध अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी राज वेस्टपावर प्राईवेट लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा Certificate of Incorporation pursuant to change of name जारी कर RAJ WESTPOWER LTD to JSW ENERGY (BARMER) LIMITED जारी कर दिया गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार राज वेस्टपावर लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर JSW ENERGY (BARMER) LIMITED हो गया है, किन्तु उक्त कम्पनी एक ही नाम से जानी जाती है।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा तहसील बाडमेर के ग्राम भादरेश गांधव में 173.7880 हैक्टेयर एवं ईश्वरपुरा, 310.7657 कुल 484.5537 हैक्टयर भूमि, राज वेस्ट पावर लिमिटेड के नाम दर्ज है को भारत सरकार द्वारा जारी Certificate of Incorporation pursuant to change of name, RAJ WESTPOWER LTD to JSW ENERGY (BARMER) LIMITED कर देने से उपरोक्त भूमि JSW ENERGY (BARMER) LIMITED के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रकरण में मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/717 दिनांक 12.03.2025 द्वारा मौके व रेकर्ड अनुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार पटवार मण्डल भादरेश के राजस्व ग्राम ईश्वरपुरा में नामान्तरकरण संख्या 105 से 122, 124 से 142, 144 से 146 एवं 260 एवं राजस्व ग्राम भादरेश गांधव के नामान्तरकरण संख्या 242–260, 263, 264 के द्वारा राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड के नाम भूमि अवाप्त कर इन्द्राज किया गया है। अवाप्त भूमि के अनुसार वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में ईश्वरपुरा में रकबा 310.7657 हैक्टेयर एवं ग्राम भादरेश गांधव में रकबा

173.7880 हैक्टेयर कुल रकबा 484.5537 हैक्टेयर भूमि राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड के नाम दर्ज है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर ग्राम भादरेश गांधव में 173.7880 हैक्टेयर एवं ईश्वरपुरा, 310.7657 कुल 484.5537 हैक्टयर भूमि, राज वेस्ट पावर लिमिटेड के नाम दर्ज है को भारत सरकार द्वारा जारी Certificate of Incorporation pursuant to change of name, RAJ WESTPOWER LTD to JSW ENERGY (BARMER) LIMITED कर देने से उपरोक्त भूमि JSW ENERGY (BARMER) LIMITED के नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भादरेश गांधव के खाता संख्या 63 रकबा 173.7880 हैक्टेयर एवं मौजा ईश्वरपुरा के खाता संख्या 139 रकबा 310.7657 कुल रकबा 484.5537 हैक्टयर भूमि, राज वेस्ट पावर लिमिटेड के नाम दर्ज है को भारत सरकार द्वारा जारी Certificate of Incorporation pursuant to change of name, RAJ WESTPOWER LTD to JSW ENERGY (BARMER) LIMITED कर देनें से उपरोक्त भूमि JSW ENERGY (BARMER) LIMITED के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर